अनुलग्नक–M

रैली/जुलूस निकालने की अनुमति/आदेश

आवेदक **श्री मुकेश कुमार झा** पार्टी का नाम **बहुजन समाज पार्टी** द्वारा निम्नलिखित तिथि/समय एवं स्थान से रैली/जुलूस निकालने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया है।

रैली का मार्ग– मधुबन डाक बांगला चौक से, पकड़ीदयाल होते हुए मोतिहारी समाहरणालय तक

1. तिथि – **20.04.2019**

2. समय – **10.00 बजे पूर्वाहन् से 03.00 बजे अपराहन्**

सभा/रैली (कार्यक्रम) में उपयोग होनेवाली सामग्री–
1. लाउडस्पीकर 1 (एक)

संबंधित सभी थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी, एवं अनुमंडल पदाधिकारी से अनुशंसा/अनापत्ति प्राप्त है।

अतः रैली /जुलूस निकालने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर दी जाती है:–

1. वाहन में 1(एक) 1ft x $\frac{1}{2}$ft झण्डा 1 या 2 छोटे साईज का स्टीकर लगाने की अनुमति दी जाती है।
2. रैली/जुलूस निर्धारित समय अवधि के बीच निर्धारित स्थल पर ही किया जाएगा।
3. रैली/जुलूस में एक साथ 10 (दस) वाहन से ज्यादा नहीं रहेंगे। वाहनों में बीच की दूरी भारत निर्वाचन आयोग के मानक के अनुरूप रखना होगा।
4. रैली/जुलूस का आकार इस प्रकार होगा जिससे यातायात बाधित न हो।
5. ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्वाह्न 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक किया जाएगा।
6. बिहार कन्ट्रॉल ऑफ यूज एण्ड प्ले ऑफ लाउडस्पीकर एक्ट 1953 की धारा–3 के अनुकूल ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किया जाएगा।
7. रैली/जुलूस में उपयोग होने वाले सामग्री, झण्डा आदि प्रदत्त अनुमति के अनुरूप होगा।
8. जुलूस में शामिल किसी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र या अन्य घातक अस्त्र–शस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया जएगा तथा कोई भी व्यक्ति इसमें मादक पदार्थ का सेवन कर भाग नहीं लेगा। इसे आवेदक/आयोजक सुनिश्चित करायेंगे।
9. रैली/जुलूस में किसी भी व्यक्ति द्वारा उतेजक या भडकाने वाला भाषण या वक्तव्य नहीं दिया जाएगा, जिससे किसी भी धर्म/ जाति एवं समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुँचे।
10. निर्वाचन आयोग के द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत विभिन्न आदेशों/निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
11. किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर पूर्ण जवाबदेही आवेदक/आयोजक की होगी।
12. मोटर वाहन अधिनियम के सभी मानक का अनुपालन आयोजक/अभ्यार्थी द्वारा करना अनिवार्य होगा।
13. उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने पर पूरी जावाबदेही आयोजक की होगी और अनुमति पत्र स्वतः रद्द माना जाएगा तथा आदर्श आचार संहिता में निहित प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

20/4/19

अपर समाहर्त्ता, आपदा–सह–
सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं
नोडल पदाधिकारी,
एकल खिड़की कोषांग
शिवहर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

ज्ञापांक 103 – ए0खि0को0, मोतिहारी, दिनांक 20 अप्रैल 2019

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी,/थानाध्यक्ष, मधुबन/पकड़ीदयाल/छतौनी/सदर मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि निर्धारित कार्यकम के दौरान आदर्श आचार संहिता एव निर्वाचन व्यय तथा विधि व्यवस्था से संबंधित सभी प्रवधानों को लागु करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, आदर्श आचार संहिता कोषांग(एम0सी0सी0)/उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही निदेश है कि निर्धारित तिथि एव समय पर उक्त स्थल पर F.S.T एवं V.S.T की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे, तथा इनसे Videography की CD प्राप्त कर V.V.T. से जाँच कराते हुए नियमानुसार कार्यवाई करेंगे।

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, नियंत्रण कक्ष, प्रेस क्लब मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि संबंधित पदाधिकारीयों को अपने स्तर से सूचित करना सुनिश्चित करगें।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक ,पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी ,पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

20/4/19

अपर समाहर्त्ता, आपदा–सह–
सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं
नोडल पदाधिकारी,
एकल खिड़की कोषांग
शिवहर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र